राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक– एफ 5(प)(14)एसीटीएडी / माडा / 275(1)बा.छा.जैसलमेर / 2020–21 / दिनांक–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन
मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा),
जिला परिषद, (ग्रा.वि.प्र.),
जैसलमेर।

विषय– जनजाति छात्राओं हेतु श्रीमति किसनी देवी मगनी राम मोहता रा.बा.उ.मा.वि., जैसलमेर परिसर में जनजाति बालिका छात्रावास हेतु भवन मरम्मत की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय पत्रांक 01–10 दिनांक 01.01.2021 द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में कार्यकारी एजेन्सी Urban Improvement Trust, Jaisalmer से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने से निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या 3 में अंकित कार्य हेतु कॉलम संख्या 6 में अंकित राशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार जारी की जाती है–

कार्यकारी एजेन्सी–यूआईटी जैसलमेर (राशि लाख रू.)

क्र. सं.	जिला	कार्य का नाम एवं स्थान	प्रशा. स्वी. अनुसार राशि	तकनीकी स्वीकृति		प्रथम किश्त की राशि (80%)
				क्र / दि.	राशि	
1	2	3	4	5	6	7
1	जैसलमेर	जनजाति छात्राओं हेतु श्रीमति किसनी देवी मगनी राम मोहता रा.बा.उ.मा.वि., जैसलमेर परिसर में जनजाति बालिका छात्रावास हेतु भवन मरम्मत	40.00	06 / 29.01.2021	68.00	55.00

उपरोक्त कार्य धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या– 22 / 2019–20 द्वारा आश्रम छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण हेतु प्राप्त राशि में से राशि रू 55.00 लाख (प्रथम किश्त) 80 प्रतिशत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्राविप्र), जैसलमेर को हस्तांतरित करने की स्वीकृति जारी की जाती है। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते में उपलब्ध है।

कार्यो के संपादन मे निम्नलिखित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावे–

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत / सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें। दोहरा व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. छात्रावास हेतु भवन मरम्मत का कार्य सार्वजनिक एवं निर्विवाद भूमि पर कब्जा प्राप्त कर प्रारम्भ कराया जावे। प्रस्तावित छात्रावासों से जनजाति आबादी लाभान्वित हो।
3. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार गुणवत्तापूर्ण किया जावे। स्वीकृत कार्यों का आपके विभाग में प्रचलित गाईड लाईन अनुसार third party inspection समय–समय पर करवाया जायेगा। Inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त / ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
4. तकनीकी स्वीकृति के क्रम मे जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।

5. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावें।
6. कार्य के गुणवत्तापूर्वक सम्पादन के लिए तकनीकी स्वीकृति जारीकर्त्ता अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।
7. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं संशोधन, 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन **गुणवत्तापूर्वक** किया जावे।
8. छात्रावास भवन मरम्मत कार्य में आर.सी.सी फ्रेम स्ट्रक्चर निर्माण कार्य किया जावे।
9. छात्रावास निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व three D Elevation एवं कार्यादेश की प्रति आयुक्तालय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को प्रेषित करें।
10. प्रत्येक माह की 10 तारीख तक स्वीकृत कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आयुक्तालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
11. उपरोक्त स्वीकृति अन्तर्गत फर्नीचर की लागत भी सम्मिलित है।

भवदीय,
-sd-
(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय) IAS
आयुक्त

क्रमांक-- एफ 5(प)(14)एसीटीएडी/माडा/275(1)बा.छा.जैसलमेर/2020-21/3418-30 दिनांक-01/02/202

प्रतिलिपी-

1. निजी सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचि.- जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचि.- जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जैसलमेर।
4. सचिव, नगर विकास प्रन्यास, जैसलमेर।
5. अतिरिक्त आयुक्त (चतुर्थ), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जोधपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि स्वीकृति संख्या- 22/2019-20 से प्रथम किश्त 80: राशि रूपये 55.00 लाख मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा), जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), जैसलमेर को हस्तान्तरित करावें।
7. मोनिटरिंग प्रकोष्ठ/लेखाकार (माडा)/माडा मॉनिटरिंग/कम्प्यूटर शाखा/गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

1 सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)
EPABX : 2428721-24 FAX : 0294-2428721
E- Mail : comm.tad@rajasthan.gov.in Website :www.tad.rajasthan.gov.in